# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–अशोक कुमार मीना (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्याः 554/2013**

1. हरबंस सिंह पुत्र श्री मंगल सिह जाति जटसिख निवासी चक 12 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

**प्रार्थीगण**

बनाम

1. राजस्थान सरकार
2. पतासी देवी पत्नी श्री शिवकरण जाति राजपूत निवासी भोजासर तहसील झूंझनू जिला–झूंझनू।

**अप्रार्थी**

रिमाण्ड प्रकरण अन्तर्गत धारा 13(ए) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थितः–
1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री भगवानदत्त अधिवक्ता, अप्रार्थीया संख्या 2

**निर्णय** दिनांकः–19.08.2020

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि प्रार्थी हरबंश सिंह पुत्र मंगलसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 14.08.2013 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का धारा 13ए का प्रकरण संख्या 6805/06 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से निर्णय दिनांक 21.06.2013 को करते हुए उक्त प्रकरण को अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि रिकॉर्डेड खातेदार को पक्षकार स्थापित करते हुए सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार प्रकरण में नवीनतम निर्णय पारित करें। प्रार्थी द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 11.03.1982 के खरीद की गई भूमि चक 12 बीएलएम 'ए' के पत्थर नंबर 212/414(4) की 25.00 बीघा भूमि को धारा 13 ए के तहत नियमन की जावें। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.09.2005 द्वारा शमनफीस जमा करवाये जाने के बाद दिनांक 07.09.1988 से 18 प्रतिशत ब्याज राशि 44469 के विरूद्ध 4000/– रूपये ही समयावधि में जमा करवाये जाने के कारण उक्त रकबा बहक सरकार लिये जाने के आदेश पारित किये गये थे।
2. अप्रार्थीया ने मार्फत अधिवक्ता दिनांक 16.09.2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हरबंस सिंह द्वारा एक प्रार्थना–पत्र चक 12 बी0एल0एम0 तहसील श्रीविजयनगर के पत्थर नंबर 212/414 का 25.00 बीघा रकबा अंतर्गत धारा 13 "ए" राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम नियमितीकरण हेतु सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो निरस्त होने पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रिवीजन की गयी जो दिनांक 21.06.2013 को रिमाण्ड कर इस आदेश सहित प्रति प्रेषित की गयी कि मु0 पतासी देवी को सुनकर उचित आदेश पारित किया जावे। पतासी देवी ने अपनी भूमि का विक्रय कतई नहीं किया है, भूमि आज भी उसके नाम अंकित है। नियमितीकरण का प्रार्थना पत्र प्रार्थीया के अनुसार निरस्ती योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

3. तहसीलदार श्रीविजयनगर की रिपोर्ट क्रमांक टीआरए/14/421 दिनांक 11.04.2014 के अनुसार आवंटी पतासी देवी वेवा शिवकरण कोम राजपूत साकिन भोजासर तहसील झुंझनू नेफा लद्धाख आलाटी सैल रजिस्टर चक 12 बीएलएम 'ए' अनुसार आवंटी का खाता नहीं है। सनद जारी नहीं हुई है। चक 12 बीएलएम 'ए' पत्थर नंबर 212/414, मु0 नं0 4 का किला नंबर 1 ता 25 हैक्टर कमाण्ड पर खरीददार मंगलसिंह पुत्र साधुसिंह कोम जटसिख साकिन 11 बीएलएम बिलोविया जरिये इकरारनामा से खरीददार व मौका पर काबिज है। क्लेमगण द्वारा शमन शुल्क जमा करवाया हुआ है।

4. अप्रार्थीया के अधिवक्ता ने अपनी लिखित तर्क में कथन किया कि प्रार्थी हरबंस सिंह द्वारा चक 12 बीएलएम "ए" तहसील श्रीविजयनगर पत्थर नंबर 212/414 की 6.325 हैक्टर हेतु शमन फीस के साथ बकाया राशि जमा करवाने की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र नियम विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकरण में दिनांक 24.09.2005 को अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ द्वारा ब्याज राशि जमा न होने के कारण प्रार्थना पत्र 13(ए) ए निरस्त कर भूमि राज्यहित में अधिगृहीत के आदेश हुए व आदेश राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 01.09.2006 आदेश अतिरिक्त कलक्टर का बहाल रहा। इसके पश्चात् माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने आदेश 12.06.2013 को दोनों पक्षकारों को सुनकर आदेश पारित करने के आदेश प्रदान किये । आज भी यही स्थिति स्वयं प्रार्थी हरबंस सिंह स्वीकार करता है कि 13(ए)ए उपनिवेशन अधिनियम के अंतर्गत ब्याज राशि जमा नहीं हुई । वर्तमान में ब्याज राशि जमा करवाने की छूट के आदेश राज्य सरकार द्वारा नहीं दिये गये। ब्याज राशि या मूल रकम निश्चित अवधि में जमा होने से वर्तमान में ब्याज राशि जमा करवाकर नियमितीकरण की अवधि जो पूर्व में थी, अब नहीं है व अवधि बढाने का अधिकार राज्य सरकार का है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी हरबंस सिंह निरस्ती योग्य है। हरदीप सिंह द्वारा पूर्व में नियमितीकरण का प्रार्थना पत्र समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया आज पक्षकार नहीं बन सकता। धारा 13(ए)ए उपनिवेशन अधिनियम की कार्यवाही सरकारी (Summrty Proceding) है। वर्तमान में कथित इकरारनामा के आधार पर विक्रय करार एवं प्रार्थी हरबंस सिंह के अधिकारों के निस्तारण के संबंध में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सरकारी कार्यवाही होने से इस पत्रावली में विचारण रोका जाना चाहिये क्योंकि इन्हीं बिन्दुओं पर भूमि का कब्जा अधिकार आदि का प्रश्न नियमित वाद में विचाराधीन है।

5. अप्रार्थीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र 31.07.2029 के अनुसार यह स्वीकृत तथ्य है कि ब्याज के 2000/– रूपये बकाया है। नियमानुसार शमनफीस के साथ ही ब्याज की राशि भी उसी समय जमा करवाना आवश्यक हे। आज न तो शमनफीस व न ही ब्याज जमा हो सकता है। इसी न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 24.09.2005 द्वारा प्रार्थना पत्र इसी कारण निरस्त हुआ था। इसी बिन्दु पर राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.09.2006 को अपील खारिज की गयी। उक्त प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रकरण विक्रत को सुनने के विन्दु पर रिमाण्ड किया है। प्रार्थीया को उक्त भूमि सैनिक विधवा के रूप में अलॉट हुई थी। मैं Exclusive Owner नहीं थी। उक्त भूमि अलॉटी के समस्त आश्रितों के भरण–पोषण हेतु थी। विवादित भूमि का मुख्त्यारनामा करने हेतु प्रार्थीया सक्षम नहीं थी न हीं मुझे मुख्त्यारनामा बाबत जानकारी थी। उक्त विवादित भूमि आज भी गैरखातेदारी है जिसका हस्तांतरण नहीं

19/8/24
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

किया जा सकता। अतः इकरारनामा Null & Void है। मंगल सिह से हरबंस सिंह को इकरारनामा हस्तांतरण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इकरारनामा को Prove नहीं किया है। जिसमें अधिकारों का Declaration नहीं हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे। कानूनी नजीर राजस्थान कॉलोनाईजेशन एक्ट 1954 धारा 13 (ए) पेज 43, न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1973 श्री किशोर बनाम श्री लालचन्द पेज 13, आरबीजे (13) 2006 पेज 366 अनवान सीताराम पुत्र मंगलाराम बनाम भैरू पुत्र किशन लाल पेश किये ।

6. अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि मुख्त्यारनामा किया जाना स्वीकार किया है, जिसमें सपष्ट लिखा है कि मैं इस रकबे का विक्रय/रकम जमा व कानूनी कार्यों बाबत अधिकृत किया गया। उक्त विवादित भूमि प्रतिफल लेकर इकरारनामा से मुझे दी है। तहसीलदार श्रीविजयनगर की रिपोर्ट अनुसार कब्जा मेरा है। ब्याज की गणना सही नहीं की जाने से ब्याज राशि संपूर्ण जमा नहीं करवायी। मुझे कितनी राशि जमा करवानी है, इसकी जानकारी नहीं थी। अपीलांट कोर्ट ने इस बिन्दु को नहीं सुना। इसलिए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपनी निर्णय दिनांक 21.06.2013 में सभी तथ्यों को सुनकर नवीनतम निर्णय पारित करने बाबत लिखा है। मैं गत 37 वर्षों से परेशान हो रहा हूँ। इकरारनामा अभी तक Stand कर रहा है, निरस्त नहीं करवाया गया है। उक्त विवादित भूमि रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा की हैसियत से जरिये इकरारनामा खरीद की गयी है। प्रार्थीया पतासी देवी ने विवादित रकबा बेचान कर दिया तो उसका कोई हक–हकूक नहीं बनता है। धारा 13(1ए) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम Penalties कर नियमन के प्रावधान हैं। शमनफीस पूर्व में जमा है। जिला कलक्टर महोदय के पत्रांक 1560 दिनांक 03.06.2006 द्वारा कुल देय ब्याज 6000/– रूपये बनना बताया जिसमें से 4000/– रूपये जमा था। ब्याज की गणना पूर्व आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ ने सही नहीं कर 44469/– रूपये बताया जो कि सहीं नहीं था। बकाया ब्याज मैं आज भी जमा करवाने को तैयार हूँ। उक्त विवादित भूमि मुझे विक्रय के समय मुख्त्यारनामा धारक का मुख्त्यारनामा निरस्त करने का भी कोई सबूत/साक्ष्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नियमन आदेश जारी किये जावे। कानूनी नजीर आरआरटी 2010 (2) अनवान जमना देवी बनाम राजस्थान सरकार पेज 916, राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 13 क पेज 6 से 16 प्रस्तुत किये।

7. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि तहसील रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि चक 11 बीएलएम "ए" आवंटी पताशी देवी को 18.11.1965 को हुई थी। अलॉटी द्वारा उक्त रकबा जरिये इकरारनामा जरिये मुख्त्यारेआम दिनांक 11.03.1982 को बेचान कर कब्जा सौंपा हुआ है। उक्त इकरारनामा कार्यपालक दण्डनायक एवं तहसीलदार अनूपगढ से तस्दीक करवाया हुआ है।प्रश्नगत भमि का बेचान सात वर्ष की अवधि के बाद हुआ है।

8. तहसीलदार श्रीविजयनगर की रिपोर्ट क्रमांक टीआरए/14/421 दिनांक 11.04.2014 अनुसार आवंटी पतासी देवी बेवा शिकरण कोम राजपूत साकिन भोजासर तहसील झूंझनू नेफा लद्दाख अलॉटी सेल रजिस्टर चक 12 बीएलएम अनुसार आवंटी का खाता नहीं है। सनद जारी नहीं हुई है। चक 12 बीएलएम 'ए' पत्थर नंबर 212/414, मु0 नं0 4 का किला नंबर 1 ता 25 की 25.00 बीघा 6.325 हैक्टर कमाण्ड भूमि खरीददार मंगल सिंह पुत्र साधुसिंह कौम जटसिख सा 11 बीएलएम बिलोचिया जरिये इकरारनामा खरीददार है व मौका पर हरबंस

19/8/20
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

पुत्र मंगलसिंह कौम जटसिख साकिन बिलोचिया खरीददार जरिये इकरारनामा काबिज है। केतागण द्वारा शमन शुल्क जमा करवाया हुआ है। प्रार्थी द्वारा बिना पूर्व अनुमति के खरीद किये गये रकबे की शमन फीस जमा करवाई जा चुकी है। जिसके चालान पत्रावली में संलग्न है एवं ब्याज राशि जिला कलक्टर महोदय के पत्रांक 1560 दिनांक 03.06.2006 अनुसार रू. 2000/– बकाया होना बताये गये थे, जो प्रार्थी हरबंशसिंह द्वारा दिनांक 06.08.2020 को जरिये चालान सं. 134 दिनांक 06.08.2020 द्वारा जमा करवाये जा चुके है।

9. प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2019 में बताया गया है कि प्रश्नगत भूमि बाबत समस्त शमन फीस जमा कराई जा चुकी है तथा शमन फीस का आंशिक ब्याज रू. 2000/– बकाया था वह भी जमा करवाया जा चुका है। गणना करते समय कोई राशि बकाया रहती है तो वह भी प्रार्थी जमा कराने हेतु बाध्य रहेगा। चूँकि जिस भूमि का नवीनीकरण किया जा रहा है व तत्पश्चात किये गये अन्तरण एवं उपरोक्त समस्त तथ्यों के आलोक में प्रार्थी द्वारा जरिये इकरारनामा खरीद की गई भूमि का नियमन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसके अलावा अप्रार्थीगण का यह कहना कि शमनफीस जमा करवाने की मियाद राज्य सरकार द्वारा नहीं बढ़ायी गई है इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है क्योंकि प्रार्थी द्वारा आदेशों की पालना में शमनफीस व ब्याज राशि पूर्व में ही जमा करवाई जा चुकी है। वर्तमान में गणना की त्रुटि से शेष से ब्याज राशि रू. 2000/– जमा हो चुके है जो पूर्व ब्याज का ही भाग है। अधिवक्ता अप्रार्थिया का यह भी कथन है कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में बेदखली का वाद धारा 183 आरटीए न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीवियजनगर में जैरकार है इसलिये इस प्रकरण में विचारण रोका जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में न्यायालय का मत है कि नियमन की कार्यवाही राज0उप0अधिनियम में की जा रही है तथा बेदखली की कार्यवाही राज0काश्तकारी अधिनियम के तहत होनी है, दोनों कार्यवाहियां भिन्न भिन्न है।

10. निष्कर्षतः चक 12 बीएलएम–ए तहसील श्रीविजयनगर के पत्थर नम्बर 212/414 मु0नं0 4 का कि0नं0 1 ता 25 की 25.00 बीघा यानि 6.325 हैक्टर कमांड भूमि आवंटिया पतासीदेवी को उक्त भूमि दिनांक 18.11.1965 को आवंटन हुई थी अलाटी पतासीदेवी द्वारा प्रार्थी के पिता को उक्त रकबा जरिये इकरारनामा दिनांक 11.03.1982 को बेचान किया जाकर कब्जा सौंपा हुआ है। उक्त अन्तरण आवंटन के सात वर्ष के पश्चात गैरखातेदारी के दौरान किया गया है। अतः धारा 13ए(1–क) के तहत प्रार्थी के पिता मंगलसिंह पुत्र साधुसिंह के पक्ष में हुए गैरखातेदारी भूमि अन्तरण को विधिमान्य घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेशित किया जाता है कि इकरारनामा दिनांक 11.03.1982 के आधार पर बैयनामा पंजीबद्ध होने के पश्चात नियमानुसार अमलदरामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/8/2020

(अशोक कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner